IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
दाखिल खारिज रिविजन वाद सं0–05 / 2012
जोबराज यादव वगैरह
बनाम
अयोध्या यादव वगैरह

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.09.2016	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता जोबराज यादव पिता–स्व0 कुन्नी यादव एवं अन्य ग्राम–तिलवरिया थाना–झाझा जिला–जमुई के द्वारा निम्न न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–08 / 08–09 अयोध्या यादव वगैरह बनाम जोबराज यादव वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18. 02.12 के विरूद्ध लाया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–तिलवरिया के खाता सं0–34 के कुल रकवा 53.94 एकड़ जमीन के खतियानी रैयत पुना गोप थे। पुना गोप अपने पुत्र कोदो यादव को छोड़कर मर गये। कोदो यादव भी अपने पाँच पुत्र अयोध्या यादव, जोधन यादव, छोटु उर्फ चेतु यादव, हरिचरण यादव एवं बेनी यादव को छोड़कर मर गये। कोदो यादव के सभी पुत्रों का इस जमीन पर दखल–कब्जा हुआ और सभी पुत्रों ने इस जमीन को आपस के बंटवारा कर अलग हो गये और प्रत्येक भाई को 13.48 एकड़ जमीन हिस्सा में मिला। छोटु यादव अपनी पत्नी जशोदा देवी को छोड़कर नावल्द मर गये। जशोदा देवी ने दिनांक 22.12.1983 को मौजा–तिलवरिया के खाता सं0–34 के विभिन्न खेसरों की कुल 8. 32 एकड़ जमीन जोबराज यादव, नारायण यादव एवं अन्य को बेच दिया। जिसपर पुनरीक्षणकर्ता का दखल कब्जा हुआ। अयोध्या यादव के द्वारा भू–हदबंदी की धारा–16(3) के तहत उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में भू–हदबंदी वाद सं0–8 / 1984–85 दायर किया गया। जिसमें अयोध्या यादव के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इसके बाद जोबराज यादव एवं अन्य ने समाहर्त्ता, मुंगेर के न्यायालय में अपील वाद दायर किया जिसे अपर समाहर्त्ता को स्थानान्तरित कर दिया गया। अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के न्यायालय से भू–हदबंदी अपील वाद सं0–14 / 1985–86 में जोबराज यादव के पक्ष में आदेश पारित किया गया और उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 22.04.86 को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अयोध्या यादव एवं अन्य ने Board of Revenue के समक्ष रिविजन वाद सं0–388 / 1986 दायर किया जिसमें दिनांक 04.03.1989 को Revision को Dismissed कर दिया गया। Board of Revenue के आदेश के विरूद्ध अयोध्या यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.- 5983/1989 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.02.1993 को अयोध्या यादव के Petition को Dismissed कर दिया गया। इसके बाद अयोध्या यादव एवं अन्य में अंचल अधिकारी, झाझा के दाखिल खारिज	

वाद सं0–230/91–92 में पारित आदेश दिनांक 10.08.92 के विरूद्ध उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–08/08–09 दायर किया जिसमें उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा बिना सभी तथ्यों पर विचार किये अयोध्या यादव के मेन में आकर गलत आदेश पारित कर दिया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा Higher Court अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश को दरकिनार करते हुए गलत आदेश पारित कर दिया गया। अतः दाखिल खारिज अपील वाद सं0–08/08–09 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 18.02.12 गलत है इसे निरस्त किया जाय।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नांकित कागजात समर्पित किया गयाः–

1. L.P.C. की छायाप्रति

2. C.W.J.C. NO.-5983/1989 Ayodhya Yadav & Ors Vs The State of Bihar & ors में पारित न्यायादेश दिनांक 02.11.90 एवं दिनांक 10.02.93 के नकल की छायाप्रति,

3. Board of Revenue, Bihar के Case No.- 388/1986 में पारित आदेश दिनांक 17.09.87 एवं दिनांक 4.3.89 के नकल की छायाप्रति,

4. न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के भू–हदबंदी अपील सं0–14/85–86 के आदेश दिनांक 22.04.86 के नकल की छायाप्रति,

5. मालगुजारी रसीद–473433 वर्ष 92–93 एवं 425133 वर्ष 2011–12 की छायाप्रति।

6. जशोदा देवी उर्फ परबा देवी के द्वारा जोबराज यादव एवं अन्य को किये गये केवाला दिनांक 22.12.83 की छायाप्रति।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0–08/08–09 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.12 में वाद को अंचल अधिकारी झाझा के पास स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया गया है । अगर अच्छे ढ़ंग से नियमानुसार दखल कब्जा को देखते हुए अंचल अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया जाता है तो इससे किसी भी पक्ष को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही रिमांड ऑडर के विरूद्ध रिविजन किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। रिविजनकर्ता के द्वारा रिविजन के ग्राउण्ड में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाया गया है जिससे प्रतीत हो कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा पारित आदेश किसी कानून के प्रतिकूल है। रिविजनकर्ता के द्वारा दाखिल खारिज कराने हेतु कभी कोई आवेदन नहीं दिया गया, कोई अभिलेख कायम नहीं हुआ और काल्पनिक दाखिल खारिज का केस नम्बर चढ़ाकर अगर जमाबंदी में नाम बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से चढ़ाया गया तो निश्चित रूप से यह सारी कार्रवाई गलत हुई। अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा पारित आदेश उचित, वैधानिक एवं तथ्य पर है। विपक्षीगण विवादित भूमि पर खतियानी रैयत का वारिश होने के आधार पर दावा करते हैं जबकि रिविजनकर्ता ने भूमि पर केवाला द्वारा क्रय करने के आधार पर दावा किया है। विपक्षियों ने रिविजनकर्ता के कथित विक्रेता को ही गलत कहा है। कथित विक्रेता के अधिकार, अधिपत्य एवं स्वत्व को चैलेंज किया है। केवाला सही है या गलत इसका फैसला राजस्व न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह फैसला

सक्षम न्यायालय द्वारा ही संभव है। इस परिप्रेक्ष्य में भी यह रिविजन सुसंगत एवं पोषणीय नहीं है। विपक्षियों का कथन है कि कोदो यादव के नाम पर ही जमाबंदी से कुल 53 एकड़ 94 डी0 की चली आ रही थी और आज तक विपक्षीगण ही उस 53 एकड़ 94 डी0 पर दखलकार चले आ रहे हैं। 8 एकड़ 32 डी0 पर रिविजनकर्ता ने अपना दावा केवाला के आधार पर किया है किन्तु ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि प्रासंगिक भूमि पर रिविजनकर्ता का कभी दखल कब्जा रहा हो। विपक्षियों का यह भी कहना है कि रिविजनकर्ताओं के नाम से जमाबंदी कायम करते समय विपक्षियों को कभी कोई सूचना नहीं दी गई। रिमांड के बाद पुनः अंचल अधिकारी ने अपना नया आदेश पारित किया है और विपक्षियों की जमाबंदी पूर्ववत कायम किये जाने का आदेश हुआ जो अंचल अधिकारी के ज्ञापांक 90 दिनांक 16.2.13 से सिद्ध होता है। विपक्षियों की जमाबंदी 34 एकड़ 37 डी0 की चली आ रही थी जिसे घटाकर 26 एकड़ 5 डी0 कर दिया था और पुनः अब 34 एकड़ 37 डी0 की जमाबंदी Restore हो गई है। अतः दाखिल खारिज अपील वाद सं0–08/08–09 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 18.02.12 विधि सम्मत है, इसे बरकरार रखते हुए रिविजनकर्ता के रिविजन आवेदन को खारिज किया जाय।

विपक्षी द्वारा निम्नांकित कागजात समर्पित किया गयाः–

1. अंचल अधिकारी, झाझा के ज्ञापांक 90 दिनांक 16.2.2013 की छायाप्रति,

2. मालगुजारी रसीद सं0–244940 वर्ष 12–13 की छायाप्रति।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं दाखिल कागजातों के परिशीलन से यह तथ्य स्थापित होता है कि निम्न न्यायालय ने बिना प्रश्नगत आदेश की नकल प्रति दाखिल किये और न ही अंचल कार्यालय, झाझा के दाखिल खारिज वाद सं0–230/91–92 का अभिलेख मंगाये अपने आदेश दिनांक 18.02.12 के माध्यम से जमाबंदी सं0–74 को निरस्त कर दी है जो कि निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। गलत तरीके से कायम जमाबंदी को निरस्त करने की शक्तियाँ बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के द्वारा अपर समाहर्त्ता में निहित की गई है।

ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.12 जिसके माध्यम से जमाबंदी सं0–74 निरस्त की गई है विधि सम्मत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 18.02.12 को क्षेत्राधिकार से बाहर पाते हुए निरस्त किया जाता है और निम्न न्यायालय के अपीलार्थी को आदेश दिया जाता है कि जमाबंदी निरस्त कराने हेतु सक्षम प्राधिकार अपर समाहर्त्ता, जमुई के न्यायालय में वाद दायर करें।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहर्त्ता,
जमुई।